

निर्देश को
भावन प्रो. 1/12
27/12/18
ema

बिहार सरकार
मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग

कार्यालय आदेश

का० आ० सं०-7/स्था० (स०अ०नि०)-02-03/2017...1472/मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग के निम्नांकित सहायक अवर निरीक्षक उत्पाद को अवर निरीक्षक उत्पाद के पद पर वेतनमान (अपुनरीक्षित वेतन बैण्ड-पी०वी०-2+4200, पुनरीक्षित पे मैट्रिक्स लेवल-6) में विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा के आलोक में उल्लिखित शर्तों के अधीन औपबंधिक प्रोन्नति देते हुए अगले आदेश तक वर्तमान पदस्थापित जिला/इकाई में पदस्थापित किया जाता है।

क्र०	वरीयता क्र०	सहायक अवर निरीक्षक उत्पाद का नाम	वर्तमान पदस्थापन जिला/कार्यालय
1	2	3	4
1	26	श्री अरुण कुमार राय	अधीक्षक उत्पाद कार्यालय, जमुई।
2	27	श्री सुशील कुमार आनन्द	सी०डी०एफ०, पटना।
3	28	श्री शैलेन्द्र कुमार आजाद	अधीक्षक उत्पाद कार्यालय, नवादा।
4	29	श्री शिवनन्दन सिंह	अधीक्षक उत्पाद कार्यालय, भागलपुर।
5	30	श्री विश्वमोहन कुमार पासवान	अधीक्षक उत्पाद कार्यालय, मोतिहारी।
6	31	श्री विष्णुदेव यादव	अधीक्षक उत्पाद कार्यालय, अररिया।
7	33	श्री हरिलाल राम	अधीक्षक उत्पाद कार्यालय, गोपालगंज।
8	34	श्रीमती सरीता कुमारी	सहायक आयुक्त उत्पाद कार्यालय, पटना।
9	76	श्री सुबोध कुमार झा	अधीक्षक उत्पाद कार्यालय, सुपौल।
10	100	श्री मिथिलेश वर्मा	सहायक आयुक्त उत्पाद कार्यालय, रोहतास (सासाराम)।
11	108	मो० रिजवान अहमद	अधीक्षक उत्पाद कार्यालय, जहानाबाद।

2. प्रोन्नत कर्मियों के विरुद्ध किसी प्रकार का आरोप/विभागीय कार्यवाही की सूचना प्राप्त होती है तो उनकी प्रोन्नति रद्द कर दी जायेगी। यदि किसी कर्मी के संबंध में जन्म तिथि/मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रिक या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण नहीं रहने/सी०टी०एस० प्रशिक्षित नहीं होने/न्यायायिक व विभागीय मामला लम्बित रहने के संबंध में कोई प्रतिकूल प्रतिवेदन प्राप्त होता है तो उस कर्मी की प्रोन्नति रद्द कर दी जायेगी और दिये गये आर्थिक लाभ की वसूली भी कर ली जायेगी और नियमानुसार उनके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई की जायेगी।

3. प्रोन्नति को आर्थिक लाभ अवर निरीक्षक उत्पाद के पद पर योगदान की तिथि से देय होगा।

4. प्रोन्नति के फलस्वरूप तत्काल इनका योगदान वर्तमान पदस्थापित जिला/उत्पाद इकाई में अगले आदेश तक स्वीकार किया जायेगा। अवर निरीक्षक उत्पाद के पद पर पदस्थापन हेतु अलग से आदेश निर्गत किया जायेगा।

5. यह प्रोन्नति औपबंधिक होगी तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन सिविल अपील सं०-4880/2017 (एस०एल०पी० (सी०) सं०-29770/2015 से उद्भूत बिहार सरकार बनाम सुशील कुमार सिंह एवं अन्य तथा एल०पी०ए० सं०-173/2018, राज्य सरकार बनाम सुशील कुमार एवं अन्य के मामले में पारित अंतिम आदेश के फलाफल से प्रभावित होगी।

(Handwritten signature)

(आदित्य कुमार दास)
आयुक्त उत्पाद
बिहार, पटना।

ज्ञापांक सं०-7/स्था० (स०अ०नि०)-02-03/2017...../ 1472 पटना, दिनांक- 27.04.18

प्रतिलिपि-संबंधित समाहर्ता/सभी उपायुक्त उत्पाद (इ०आई०बी० सहित)/सभी सहायक आयुक्त उत्पाद/सभी अधीक्षक उत्पाद/संबंधित सभी नवप्रोन्नत अवर निरीक्षक उत्पाद/संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रमाणिका संख्या	कर्मचारी का नाम	पद	वर्ग
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

(Handwritten signature)

आयुक्त उत्पाद
बिहार, पटना।

...

...

...

...